

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक.....

अधि.संख्या-21/रा.सू.आ.-15/2009.....बिहार के राज्यपाल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-15(3) में विहित प्रावधानों के तहत श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. (1980) को पद-ग्रहण करने की तिथि से बिहार राज्य का राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त करते हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(हिमांशु कुमार राय)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -21/रा.सू.आ.-15/2009 सा.प्र...../ पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी.डी. सहित) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ भेजने हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -21/रा.सू.आ.-15/2009 सा.प्र...../ पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना तथा कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -21/रा.सू.आ.-15/2009 सा.प्र...../ पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/नेता विरोधी दल, बिहार विधान सभा के आप्त सचिव तथा मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -21/रा.सू.आ.-15/2009 सा.प्र...../ पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-राज्य सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव,/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -21/रा.सू.आ.-15/2009 सा.प्र...../ पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि:-सचिव, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना/ श्री नरेन्द्र कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त भा.प्र.से. (1980) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

14158

ज्ञापांक -21/रा.सू.आ.-15/2009 सा.प्र...../ पटना-15, दिनांक...25.10.18.....

प्रतिलिपि:-आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित



सरकार के संयुक्त सचिव।

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
॥ अधिसूचना ॥

पटना-15, दिनांक.....

अधि.संख्या-21/रा.सू.आ.-15/2009.....बिहार के राज्यपाल सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-15(3) में विहित प्रावधानों के तहत श्री पी.के.ठाकुर, सेवानिवृत्त भा.पु.से. (1980) को पद-ग्रहण करने की तिथि से बिहार राज्य का राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त करते हैं।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/-

(हिमांशु कुमार राय)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -21/रा.सू.आ.-15/2009 सा.प्र...../ पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को (सी.डी. सहित) बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ भेजने हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -21/रा.सू.आ.-15/2009 सा.प्र...../ पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना तथा कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -21/रा.सू.आ.-15/2009 सा.प्र...../ पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/नेता विरोधी दल, बिहार विधान सभा के आप्त सचिव तथा मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -21/रा.सू.आ.-15/2009 सा.प्र...../ पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- राज्य सरकार के सभी प्रधान सचिव/सचिव, विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -21/रा.सू.आ.-15/2009 सा.प्र...../ पटना-15, दिनांक.....


प्रतिलिपि:- सचिव, राज्य सूचना आयोग, बिहार, पटना/श्री पी.के.ठाकुर, सेवानिवृत्त भा.पु.से. (1980) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक -21/रा.सू.आ.-15/2009 सा.प्र...../ पटना-15, दिनांक.....

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित


25.10.18

सरकार के संयुक्त सचिव।